डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांकः सम्ब0 / 12371 2025
दिनांक 21/03/2025

सेवा में,

प्राचार्य / सचिव,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

महोदय,

अवगत हो कि आपके महाविद्यालय में संचालित स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों आदि में पठन–पाठन कार्य हेतु मानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त किया जाना अनिवार्य है, प्रायः देखने में यह आ रहा है कि महाविद्यालयों द्वारा समय–समय पर विश्वविद्यालय से शिक्षक अनुमोदन हेतु विषय–विशेषज्ञ प्राप्त कर लिये गये मगर प्राप्त विषय–विशेषज्ञों से शिक्षक अनुमोदन प्रक्रिया पूर्ण नही करायी गयी है, जो कि अनियमितता है। उक्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में कईबार इस आशय के पत्र प्रेषित किये गये हैं कि महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में शिक्षक चयन कराये जाने हेतु विश्वविद्यालय से विषय–विशेषज्ञ प्राप्त कर ले और शिक्षक चयन प्रक्रिया पूर्ण कराकर पत्रावली विश्वविद्यालय में नियमानुसार जमा कर अनुमोदन प्राप्त कर लें परन्तु महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय के पत्र के क्रम में अद्यतन कोई कार्यवाही नही की गयी है, जो कि लापरवाही का घोतक है।

अतः स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम संचालित महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में शिक्षक अनुमोदन हेतु विश्वविद्यालय से प्राप्त विषय–विशेषज्ञों से साक्षात्कार प्रक्रिया पूर्ण कर पत्रावली अविलम्ब विश्वविद्यालय में उपलब्ध करा दें एवं ऐसे महाविद्यालय जिनके द्वारा विश्वविद्यालय से विषय–विशेषज्ञ प्राप्त नही किये गये है वह दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में लगातार तीन दिन **(प्रत्येक समाचार पत्र की तीन–तीन मूल प्रति)** विज्ञापन सहित निर्धारित शुल्क जमा करते हुये जरूरी कागजात संलग्न कर पत्रावली विश्वविद्यालय में जमा कर विषय–विशेषज्ञ प्राप्त कर शिक्षक अनुमोदन की कार्यवाही पूर्ण कर लें अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालयों को दोबारा विषय–विशेषज्ञ प्रदान किया जाना सम्भव नही होगा। शिक्षक अनुमोदन / नवीनीकरण सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण न करने की दशा में महाविद्यालय प्रबन्धन स्वयं जिम्मेदार होगा।

उक्त के साथ–साथ महाविद्यालय को संचालित करने वाली प्रबन्ध समिति यदि कालातीत हो चुकी है तो उसके नवीनीकरण / अनुमोदन सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण करते हुये अनुमोदनार्थ पत्रावली अतिशीघ्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेगे।

भवदीय

राजेश कुमार
आई.ए.एस.
कुलसचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. परीक्षा नियंत्रक को इस आशय से प्रेषित कि ऐसे महाविद्यालय जिनके द्वारा प्रबन्ध समिति एवं प्राचार्य / शिक्षक अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त नही किया गया है ऐसे महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र न बनाया जाये।
2. प्रभारी–कुलसचिव–कुलपति सचिवालय, माननीय कुलपति जी को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधिकृत ऐजेन्सी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय बेवसाइट एवं समस्त महाविद्यालयों की लोगिन आई0डी0 पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाइल।

राजेश कुमार
आई.ए.एस.
कुलसचिव

Affisvlett